S.A. No. 276/2008

31.10.2014

Shri R.L. Shukla, learned counsel for the appellants.

Heard on admission.

This is plaintiffs' second appeal directed against the judgment/decree dated 31.10.2007 passed by Second Additional District Judge, Jabalpur in Civil Appeal No. 12 A/2007 affirming the judgment/decree dated 30.10.2006 passed by 17th Civil Judge Class II in Civil Suit No. 71 A/2004.

Plaintiff having failed to establish the contentions regarding his right, title and the encroachment and demolition by defendant over the Suit Property marked with red with the suit plaint (evident it is from the suit plaint that suit land is a strip which runs from east to west and south to north bordering the building wherein flat of the plaintiff is situated. It is also evident from the sale-deed filed by the plaintiff that said suit land is not part of the sale effected in favour of the plaintiff); led the Trial Court dismis the suit filed by the plaintiff for permanent injunction in respect of the suit property on following finding

"(9)- वादीगण् की ओर से अपने पक्ष समर्थन में विक्रय पत्र पी–1 एवं प्रपी–2 दि0 29 मार्च 2001 प्रस्तुत किये गये हैं तथा अनुबंध पत्र दिनां 2.11.95 प्रपी–4 प्रस्तुत किया है । जिसके

आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं01 पी.सी. महोबिया के मकान के बीच में 10 फुट कासीमेंटरोड होना उल्लेखित नहीं है। साथ हीं वादीगण की ओर से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं01 के मध्य में सिथित वाद ग्रस्त रोड के माप के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं0 1 के मकान के बीच में कितना चौड़ा रास्ता पूर्व से शेष है । जो कि सिद्धी का भारवादी पर है । प्रतिवादीगण की असफलता का लाभ वादी नहीं ले सकता है । साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किस भूमि का तोड़फोड़ किया गया वादीगण की ओर से प्रमाणित नहीं कराया गया है । जिस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना है । मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रभावित नहीं माना जा सकता ।

10– वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है । वादग्रस्त भूमि जिसे वादनक्शें में ए,बी,सी,डी, लाल रंग से दर्शित किया गया है । वादीगण के स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है के संबंध में घोषणात्मक डिक्री का अनतोष नहीं चाहा गया है । ऐसी स्थिति में विर्निष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 38 की परिधि में वादीगण का स्वत्व एवं अधिपत्य पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से स्वत्व की भूमि पर अथवा अधिकार का हनन कर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं होता है । जिसके अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।"

Said findings have been affirmed by the Appellate Court in an appeal preferred by the plaintiff. The Appellate Court observed

12 -प्रदर्शपी–1 एवं प्रदर्शपी–2 तथा वादपत्र में वर्णित अभिवचन के अनुसार अपीलार्थीगण के मकान की उत्तर दिशा में खाली भूमि के बाद रोड है एवं रोड की दूसरी तरफ उत्तरवादी क्रं01 का मकान है, जैसा कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा में भी दर्शाया गया है । वाद नक्शा में लाल रंग से घिरी हुई जगह उत्तरवादी क्रं01 के मकान से लगकर दर्शायी गई है एवं अपीलार्थीगण तथा उक्त लाल रंग से दर्शीयी गई जगह के बीच में सार्वजनिक रोड भी दर्शायी गई है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लाल रंग से दर्शायी गई जगह अपीलार्थीगण के मकान से लगकर नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रदर्शपी–1 एवं प्रदर्शपी–2 के विक्रय पत्र के साथ जो नक्शा संलग्न है उसके अनुसार अपीलार्थीगण के द्वारा क्रय की गई भूमि तथा मकान तथा रोड के बीच में कुछ खाली जगह है तथ अपीलार्थीगण के अभिवचन के अनुसार रोड के दूसरी तरफ उत्तरवादी क्रं01 का मकान है । ऐसी दशा में वादपत्र साथ संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया स्थान प्रथमदृष्टया अपीलार्थीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की प्रमाणित नहीं होती है ं। ऐसी दशा में अपीलार्थीगण का दावा उनके द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज एवं प्रस्तुत किये गये वाद नक्शा से स्वयं प्रमाणित नहीं होता है ।

13– ऐसी दशा में जिस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष उत्तरवादीगण के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने चाहा है वह प्रदान

किये जाने योग्य नहीं है क्योकि वाद नक्शा में लाल रंग से दर्शाये भाग अपीलार्थीगण के स्वत्व का नहीं है । जहॉ तक ऑगन में गाड़ी या कार के प्रवेश करने से निषेधित करने एवं ओगन को जमाने में हुये खर्च को उत्तरवादीगण में दिलाये जाने का प्रश्न है अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अपीलार्थीगण के स्वत्व की भूमि के किसी स्थान पर उनके द्वारा ऑगन बनाया गया है जिसे उत्तरवादीगण ने तोड़ा है । ऐसी दशा में संशोधन के माध्यम से अपीलार्थीगण के द्वारा जो अनुतोष वादपत्र में समाविष्ट किया गया है वह अनुतोष भी अपीलार्थीगण प्राप्त करने क हकदार नहीं है ।

The concurrent finding of fact arrived at by both the Courts being based on cogent material evidence on record does not lend any support to the contentions raised by the appellants that the findings are perverse as would warrant an indulgence.

The appeal fails and is dismissed.

(SANJAY YADAV)
JUDGE

Vivek Tripathi